Name of project- Permission for Running of existing gaushala in forestland,

Lakhawa distt.Kota(rajasthan)

कार्यालय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 6017 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा लगाये गये आक्षेप का प्रत्युत्तर

क्रम संख्या	आक्षेप	प्रत्युत्तर
1	पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 11 (1) नो डाटा अंकित किया गया हैं जबकि उल्लंघन के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी हैं।	राज्य सरकार की स्वीकृति क्रमांक 42(187)राज./03/03/दिनांक 21.07.2004 तहसीलदार लाडपुरा, पशुपालन विभाग एवं ग्राम पुचायत की अनापत्ति के आधार पर जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक प. 2(6)(1)राजस्व/1/02/9073–77 दिनांक 05.11.2004 से ग्राम लखावा तहसील लाडपुरा के खसरा नं. 317 रकबा 0.92 है0, 318 रकबा 1.83 है0, 308/490 रकबा 0.14 है0, 309/491 रकबा 0.31 है0, 319 रकबा 1.49 है0 कुल 5 किता रकबा 4.69 है0 भूमि को गैर वन भूमि मानते हुये संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति लखावा तहसील लाडपुरा जिला कोटा को राजस्थान भू राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम 195) एंव संशोधित नियम 2001 के अन्तर्गत गौशाला स्थापित करने हेतु 20 वर्ष की लीज रेट पर आवंटित की गई। उक्तानुसार उक्त वनभूमि वर्ष 2004 से ही प्रयोक्ता अभिकरण के कब्जे में हैं एवं गौशाला का संचालन कर रहे हैं। एस.बी.सि.रि.प.संख्या 19970/2013 में माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2013 के आदेशानुसार उक्त भूमि को वनभूमि मानते हुये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रयोक्ता अभिरण प्रेषित करें। जिसके अनुसरण में गौशाला से संबंधित प्रस्ताव के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार संत आशाराम जी आश्रम समिति लखावा को एफ.सी.ए. 1980 के तहत 4.69 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव भारत सरकार को अग्रेषित किये जाने हेतु संत श्री आशाराम गौशाला समिति लखावा,. कोटा में प्रस्ताव तैयार कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ने प्रपोजल नं0 FP/RJ/OTHER/25462/2017 में दर्ज करवाया गया। इस प्रकार उक्त वनभूमि गजट नोटिफाईड होने से उल्लंघन की श्रेणी में माना गया हैं इसलिए पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 11 (1) नो डाटा अंकित किया गया हैं
2	बिन्दु सं– 13 के क्रम में संशोधित सी0ए0 स्कीम वास्तविक व्यय के अनुसार बनाई जानी हैं।	सी0ए0 स्कीम अपलोड कर दी गई हैं।
3	भारत सरकार पर्यावरण वन एवंज जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली के पत्रांक दिनांक 06 जनवरी 2022 से जारी संशोधित दर अनुसार एन0पी0वी0 की गणना नही की गई है जो अपेक्षित हैं।	एन0पी0वी0 की गणना कर अपलोड कर दी गई हैं।
4	आपकी मौका निरीक्षण रिपोर्ट विशेषत् प्रथम पैरा अस्पष्ट एंव विरोधाभाषी हैं।	उक्त वनक्षैत्र में वर्ष 2004 से ही जिला कलक्टर द्वारा दी गई लीज के आधार पर गौशाला चल रही हैं एंव माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या 199970/2013 में दियें गये आदेशानुसार प्रत्यावर्तन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदन किया हैं। वर्तमान में गौशाला चल रही है जो किसी निजी हित के लिये नही हैं इस आधार पर मौका निरीक्षण रिपोर्ट में" unavoidable and is barest minimum required for the project." उल्लेखित किया गया हैं।

उप वन संरक्षक
कोटा